(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 731–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–2–2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जूनी जिला इंदौर, प्रकरण कमांक 27/अपील/2015–16.

.....

1–सुरेश पिता श्री पुखराज जैन (चौपड़ा)
निवासी – 20 जानकी नगर मेन इंदौर म0प्र0
2–राजेन्द्र पिता श्री पुखराज जैन (चौपड़ा)
निवासी – 20 जानकी नगर मेन इंदौर म0प्र0
3–जयेश पिता श्री सुभाष चौपड़ा
निवासी 159, साजन नगर इंदौर म0प्र0
4–मेसर्स राजश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0
तर्फे अधिकृत जितेन्द्र पिता पुखराज जैन चौपड़ा
निवासी 262/3, साजन नगर इंदौर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–मेसर्स आर0आर0होम्स तर्फे डायरेक्टर
राजेश पिता गोपीचंद गुप्ता
निवासी 50 भगवानदीन नगर इंदौर
2–संगीताबाई पति महेश पिता मनोहर
निवासी चितावद तहसील व जिला इंदौर

.....अनावेदकगण

श्री बी0के0गुप्ता, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री एस0के0चौधरी, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/4/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जूनी जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–2–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–2–12 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 9–7–15 को लगभग 3 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 2–2–2017 को

अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील मेमों के साथ वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने से छूट के लिये संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विधि अनुसार अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य थी । यह भी कहा गया कि अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया गया है क्योंकि विलम्ब का कारण कानून का ज्ञान होना नहीं है, दर्शाया गया है और कानून का ज्ञान नहीं होना, समाधानकारक कारण नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन संपत्ति आवेदकगण की है और उसका बटांकन आवेदकगण द्वारा किया जा रहा है जिसमें अनावेदक कमांक 1 हितबद्ध पक्षकार नहीं है ।

तर्क के समर्थन में 2003 आरएन 183 एवं 2010 आरएन 140 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का जबाव मय शपथपत्र के आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 19 नियम 3 के अन्तर्गत जब तक शपथपत्र पर किये गये कथनों का खंडन नहीं किया जाता है तब तक यह उपधारणा की जाती है कि शपथपत्र में उल्लिखित तथ्य सही है अतः आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण के शपथपत्र के खंडन में शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

(2) अपील मेमों के साथ वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं करना अवैधानिकता नहीं है और अनावेदकगण की ओर से दिनांक 6–10–2015 से सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वादग्रस्त आदेश पारित किया गया है ।

(3) अनावेदकगण प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है और उसके हित प्रभावित हो रहे हैं और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण को पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और प्रकियात्मक त्रुटि के कारण किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय में आवेदकगण/अनावेदकगण के आवेदन पर ही बंटवारा कार्यवाही हुई जिसमें अनावेदकगण अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहे हैं। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–2–2012 की अपील 29–6–2015 को पेश की गई है, जो स्पष्टतः अवधि बाह्य थी । आवेदन के साथ जो अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पेश किया है, उसमें मात्र विधि का जानकार नहीं होने का कारण दर्शाया गया है, जो कि अनावेदक के पदनाम को देखते हुये प्रथमदृष्टया ही स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि अनावेदक स्पष्टतः पढा लिखा व्यक्ति होकर एक कम्पनी का डायरेक्टर है । अतः इससे स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब सद्भाविक मानने में त्रुटि की है, उनके समक्ष अपील स्पष्टतः अवधि बाह्य थी । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जूनी जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–2–2017 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर